19/09/2023	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पेशकार सरकार के न्यायालय से जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पेशकार सरकार दिनांक 26/09/2023 को पेश हो। S.D.O
26/09/2023	पत्रावली पेश हुई... अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित करने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04/10/2023 को पेश की जावे। R.O.
04/10/23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पेशकार सरकार तहसीलदार राघवगढ़ ने पत्रावली में No-objection प्रस्तुत कर किसी प्रकार की कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 11/10/2023 को पेश हो। S.D.O
11/10/23	पत्रावली पेश हुई उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र धारा-128 पर बहस सुनाई उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक 18/10/23 को पेश हो। S.D.O.
18/10/2023	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र में

नो object
[illegible] 4/10

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:37:36 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App-Z
crim-I

जज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : रावतभाटा

खाना पुत्र देवी बनाम श्रीमान तहसीलदार सा०

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र नं० 69 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	अंकित तथ्यों व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन कर गहनता से मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान दी दलीलों से हम संतुष्ट हैं। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा-128 बाबत् पत्थरगढ़ी का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा-128 का स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रा० पत्र धारा-128 का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:37:36 IST
Reason: SelfAttested